संख्या 712 /उन्तीस(2)/18–2(01पे0)/2018

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 03 मई, 2018

विषय :– **राज्य सैक्टर (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा विकासखण्ड चौखुटिया की बाईस ओखला पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 460/अप्रैजल–अल्मोड़ा/33 दिनांक 03.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा विकासखण्ड चौखुटिया की बाईस ओखला पेयजल योजना हेतु विस्तृत प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 4.22 लाख पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा, निर्माण कार्य हेतु ₹ 3.05 लाख, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत ₹ 0.22 लाख एवं सेन्टेज ₹ 0.41 लाख अर्थात् कुल ₹ 3.68 लाख (₹ तीन लाख अडसठ हजार मात्र) औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

.....2

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान सख्या–13 के लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सेक्टर–00–35–पूंजीगत परेसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1805130001 दिनांक 01.05.2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उप्योग हेतु शासनादेश संख्या 519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 61/XXVII(2)/2018 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 712. (1)/उन्तीस(2)/18–2(01पे0)/2018 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परेसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।